प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या. 51/ 2024)

तत्काल प्रकाशनार्थ

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने एक्सेस प्रोवाइडर्स को स्पैम कॉल करने के कारण अपंजीकृत प्रेषकों के सभी दूरसंचार संसाधनों को डिस्कनेक्ट करने और ऐसे प्रेषकों को दूरसंचार वाणिज्यिक सम्प्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2018 (टीसीसीसीपीआर-2018) के तहत ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश जारी किए।

नई दिल्ली, 13 अगस्त 2024 – स्पैम कॉल्स की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए एक प्रमुख कदम उठाते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने सभी अभिगम सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिया है कि वे अनिवार्य रूप से निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार सभी अपंजीकृत प्रेषकों अथवा अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स (यूटीएम) से, एसआईपी/ पीआरआई अथवा अन्य दूरसंचार संसाधनों का प्रयोग करते हुए की जाने वाली वॉयस प्रोमोशनल कॉल्स, चाहे वे पहले से रिकार्ड की गई हों या कम्प्यूटर द्वारा सृजित अथवा अन्य प्रकार से की गई हों, को बंद कर दें:

क. अपंजीकृत प्रेषकों/ अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स (यूटीएम) से दूरसंचार संसाधनों (एसआईपी/ पीआरआई/ अन्य दूरसंचार संसाधनों) का उपयोग करते हुए की जाने वाली सभी प्रोमोशनल कॉल्स तत्काल आधार पर बंद कर दी जाएंगी।

ख. यदि कोई अपंजीकृत प्रेषक/ अपंजीकृत टेलीमार्केटर (यूटीएम), विनियमों के उल्लंघन में वाणिज्यिक वॉयस कॉल्स करने के लिए अपने दूरसंचार संसाधनों (एसआईपी/पीआरआई/अन्य दूरसंचार संसाधनों) का दुरुपयोग, जो प्रेषक को आवंटित किसी एक या अधिक संसाधन संकेतकों के विरुद्ध उपभोक्ता शिकायतों में फलित होता है, करते हुए पाया जाता है -

i. ऐसे प्रेषक के सभी दूरसंचार संसाधनों को, विनियमों के विनियम 25 के प्रावधानों के अनुसार, मूल अभिगम प्रदाता (ओएपी) द्वारा दो वर्ष तक की अवधि के लिए डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा।

ii. विनियमों के प्रावधानों के अनुसार ऐसे प्रेषक को ओएपी द्वारा दो वर्ष तक की अवधि के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।

iii. प्रेषक को ब्लैकलिस्ट करने से संबंधित सूचना को ओएपी द्वारा डीएलटी प्लेटफार्म पर अन्य सभी अभिगम प्रदाताओं के साथ 24 घंटे के भीतर साझा किया जाएगा, जो, इसी क्रम में, अगले 24 घंटों के भीतर प्रेषक को उनके द्वारा दिए गए सभी दूरसंचार संसाधनों को डिस्कनेक्ट करेंगे;

iv. विनियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार ऐसे प्रेषक को ब्लैकलिस्टिंग की अवधि के दौरान किसी अभिगम प्रदाता द्वारा कोई नया दूरसंचार संसाधन आवंटित नहीं किया जाएगा।

ग. नागरिकों को वाणिज्यिक वॉयस कॉल्स करने के लिए एसआईपी/ पीआरआई/ अन्य दूरसंचार संसाधनों का उपयोग करने वाले सभी अपंजीकृत प्रेषकों/ अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स (यूटीएम) को इस निर्देश के जारी होने के एक महीने के भीतर डीएलटी प्लेटफॉर्म पर माइग्रेट कर दिया जाएगा और उसके बाद एक सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगें।

सभी अभिगम प्रदाताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन निर्देशों का अनुपालन करें और की गई कार्रवाइयों के संबंध में नियमित अद्यतन जानकारी प्रत्येक माह की 1 और 16 तारीख को प्रस्तुत करेंगे।

भादूविप्रा की इस निर्णायक कार्रवाई से स्पैम कॉल्स में काफी कमी आने और उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है।

ह./-

(अतुल कुमार चौधरी)

सचिव, भादूविप्रा